

सं. फा. 14(3)/एलए-2013/Cons. 2 Law/22.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

2  
2013

**“दिल्ली विनियोग ( संख्या 01 ) अधिनियम, 2013  
( 2013 का दिल्ली अधिनियम 02 )**

(20 मार्च, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[28 मार्च, 2013]

वर्ष 2012-13 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त शीर्षक

1079,85,00,000/- रुपयों का वर्ष  
2012-2013 में राष्ट्रीय राजधानी  
क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में  
से प्रदत्त और प्रयुक्त ।

विनियोजन ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग ( संख्या 1 ) अधिनियम, 2013 है ।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभागों की अदायगी के लिए एक हजार उन्नयासी करोड़ पिचासी लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2012-2013 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी ।
3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी ।

अनुसूची  
(धाराएं 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

राशि इससे अधिक नहीं

मांग संख्या	सेवायें एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड़
1	2	3	4	5
1	विधान मंडल	राजस्व	..	..
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	7200	3570
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	202	..
4	वित्त	राजस्व	30000	..
5	गृह	राजस्व	2900	800
		पूंजी	10000	..
6	शिक्षा	राजस्व	2300	12848
		पूंजी	100	..
7	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	राजस्व	1700	500
		पूंजी	100000	..
8	समाज कल्याण	राजस्व	2580994	1806
		पूंजी	4414500	..
9	उद्योग	राजस्व	900	..
10	विकास	राजस्व	3095180	..
		पूंजी	528700	..
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	2200	..
		पूंजी	2100	..
12	ऋण	पूंजी	..	..
13	पेंशन	राजस्व	..	..
	जोड़		10778976	19524
				10798500

No. F. 14(3)/LA-2013/Cons 2 Law/22.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 28th March, 2013 and is hereby published for general information :—

**“The Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2013  
(Delhi Act 02 of 2013)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 20th March, 2013)

[28th March, 2013]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2012-13.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

- Short title
- Issue of Rs. 1079,85,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2012-2013
- Appropriation.
1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2013.
  2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees one thousand seventy nine crore eighty five lac only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2012-2013 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule,
  3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

**SCHEDULE**

(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

Sums Not Exceeding

Demand No.	Services and purposes	Voted by the Legislative Assembly	Charges on the Consolidated Fund	Total
1	2	3	4	5
1	Legislative Assembly	Revenue ..	..	..
2	General Administration	Revenue 7200	3570	10770
3	Administration of Justice	Revenue 202	..	202
4	Finance	Revenue 30000	..	30000
5	Home	Revenue 2900 Capital 10000	800 ..	3700 10000
6	Education	Revenue 2300 Capital 100	12848 ..	15148 100
7	Medical and Public Health	Revenue 1700 Capital 100000	500 ..	2200 100000
8	Social Welfare	Revenue 2580994 Capital 4414500	1806 ..	2582800 4414500
9	Industries	Revenue 900	..	900
10	Development	Revenue 3095180 Capital 528700	.. ..	3095180 528700
11	Urban Development and Public Works	Revenue 2200 Capital 2100	.. ..	2200 2100
12	Loans	Capital ..	..	..
13	Pension	Revenue ..	..	..
	<b>Total</b>		<b>19524</b>	<b>10798500</b>
		<b>10778976</b>		